



Cabinet approves enhancement of EPFO wage ceiling from Rs.15,000 to Rs.25,000 per month

Over 51 lakh additional employees expected to come under mandatory EPFO coverage

Decision strengthens formalisation and advances India's long-term social security vision

Major step towards stronger retirement security and Viksit Bharat@2047

Posted On: 16 SEP 2026 3:07PM by PIB Delhi

The Union Cabinet, chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi, has approved the proposal of the Ministry of Labour & Employment to enhance the wage ceiling for mandatory coverage under the Employees' Provident Fund Organisation (EPFO) from Rs.15,000 to Rs.25,000 per month. The decision is expected to bring more than 51 lakh additional employees within the ambit of mandatory EPFO coverage, significantly widening social security protection for workers.

The EPFO wage ceiling remained unchanged throughout the decade from 2004 to 2014, before being substantially enhanced to Rs.15,000 in September 2014. The present decision carries forward this approach by further raising the ceiling to Rs.25,000 to reflect the sustained wage growth, rising incomes and a continued expansion of formal employment over the intervening years.

At present, a fresh employee joining employment at a wage above Rs.15,000 per month is not automatically covered under the EPF framework and may remain outside mandatory provident fund, pension and associated insurance protection. Raising the ceiling to Rs.25,000 will bring a substantial segment of employees in the Rs.15,000– Rs.25,000 wage band within the statutory social security framework.

The approval will expand access to provident fund savings, pension protection under the Employees' Pension Scheme (EPS) and insurance protection under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme (EDLI), in accordance with the applicable scheme provisions. It will also enable the statutory contribution and pensionable-wage framework to better reflect prevailing wage levels.

Since the wage ceiling was last revised in September 2014, India has witnessed sustained wage growth, rising incomes and continued expansion of formal employment. In several States and occupations, minimum wages have also moved closer to the existing threshold. The enhancement to Rs.25,000 therefore updates the EPFO framework in line with rising wage levels and extends the benefits of formal social security to a wider segment of the workforce.

The measure is expected to give a further impetus to formalisation of employment, worker retention and long-term retirement security. By bringing a larger number of employees automatically within the statutory social security framework, the decision strengthens the principle that formal employment should be accompanied by portable and assured social security protection. For employers as well, wider social security coverage can support employee retention, workforce stability, morale and the development of a more secure and future-ready workforce.

The proposal underwent detailed inter-ministerial consultations and was recommended by the Expenditure Finance Committee in its meeting held on 16 June 2026. The annual Government outgo is estimated at about **Rs.11,339 crore**, against the existing annual budgetary support of about **Rs.10,250 crore**. The estimated expenditure over five years is approximately **Rs.56,696 crore**.

EPFO today operates one of the world's largest social security systems, administering the Employees' Provident Fund (EPF), Employees' Pension Scheme (EPS) and Employees' Deposit Linked Insurance Scheme (EDLI). The latest EPFO data show around 7.98 crore contributing members across about 7.68 lakh contributing establishments, while the EPS provides pension benefits to around 82 lakh pensioners. EDLI provides insurance protection linked to EPF membership.

India's workforce is at the heart of its growth story. As wages rise, incomes improve and formal employment expands, the Government's continued emphasis on employment generation and formalisation is creating new opportunities for workers. The enhancement of the EPFO wage ceiling ensures that the social security framework also keeps pace with this progress and that a larger number of workers in formal employment receive statutory social security protection.

This approval marks another important step towards building an inclusive, resilient and future-ready social security architecture, ensuring that social protection advances alongside economic growth, rising wages and expanding formal employment as India moves towards Viksit Bharat@2047.

The Ministry of Labour & Employment and EPFO will undertake the necessary statutory and administrative steps for implementation of the decision.

MJPS

(Release ID: 2310811) Visitor Counter : 9197

Read this release in: Urdu , Marathi , हिन्दी , Bengali , Bengali-TR , Assamese , Punjabi , Gujarati , Odia , Telugu , Kannada , Malayalam



मंत्रिमंडल ने ईपीएफओ वेतन सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति माह करने की मंजूरी दी

51 लाख से अधिक अतिरिक्त कर्मचारियों के अनिवार्य ईपीएफओ कवरेज के दायरे में आने की उम्मीद

यह निर्णय औपचारीकरण को मजबूत करता है और भारत की दीर्घकालिक सामाजिक सुरक्षा के विजन को आगे बढ़ाता है

सेवानिवृत्ति की मजबूत सुरक्षा और विकसित भारत@2047 की दिशा में बड़ा कदम

Posted On: 16 SEP 2026 3:07PM by PIB Delhi

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के तहत अनिवार्य कवरेज के लिए वेतन सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति माह करने के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस निर्णय से 51 लाख से अधिक अतिरिक्त कर्मचारियों के ईपीएफओ कवरेज के दायरे में आने की उम्मीद है, जिससे कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा के दायरे में काफी वृद्धि होगी।

ईपीएफओ वेतन सीमा 2004 से 2014 तक के दशक में अपरिवर्तित रही, सितंबर 2014 में इसे बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिया गया। वेतन सीमा को बढ़ाकर 25,000 रुपये करने का मौजूदा निर्णय इसी विजन को आगे बढ़ाता है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि पिछले कुछ सालों में वेतन में लगातार बढ़ोतरी, आय में वृद्धि और औपचारिक रोजगार के लगातार विस्तार को ध्यान में रखा जा सके।

वर्तमान में, 15,000 रुपये प्रति माह से अधिक वेतन पर रोजगार में शामिल होने वाला एक नया कर्मचारी स्वतः ईपीएफ संरचना के तहत कवर नहीं होता है और अनिवार्य भविष्य निधि, पेंशन और संबंधित बीमा सुरक्षा से बाहर रह सकता है। 25,000 रुपये की सीमा बढ़ाने से 15,000 रुपये से 25,000 रुपये के वेतन बैंड में कर्मचारियों का एक बड़ा हिस्सा वैधानिक सामाजिक सुरक्षा संरचना के दायरे में आ जाएगा।

इस मंजूरी से प्रभावी योजना के प्रावधानों के अनुसार भविष्य निधि बचत, कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) के तहत पेंशन सुरक्षा और कर्मचारी जमा लिंकड बीमा योजना (ईडीएलआई) के तहत बीमा सुरक्षा तक पहुंच का विस्तार होगा। यह वैधानिक योगदान और पेंशनयोग्य-वेतन संरचना को मौजूदा वेतन स्तरों को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित करने में भी सक्षम करेगा।

चूंकि वेतन सीमा को अंतिम बार सितंबर 2014 में संशोधित किया गया था, इसलिए भारत ने निरंतर वेतन वृद्धि, आय में वृद्धि और औपचारिक रोजगार का निरंतर विस्तार देखा है। कई राज्यों और व्यवसायों में, न्यूनतम मजदूरी भी मौजूदा सीमा के करीब पहुंच गई है। इसलिए 25,000 रुपये तक की वृद्धि बढ़ते वेतन

स्तर के अनुरूप ईपीएफओ संरचनाओं को अपडेट करती है और कार्यबल के एक व्यापक वर्ग तक औपचारिक सामाजिक सुरक्षा के लाभों का विस्तार करती है।

इस उपाय से रोजगार का औपचारीकरण, श्रमिक प्रतिधारण और दीर्घकालिक सेवानिवृत्ति सुरक्षा को और गति मिलने की उम्मीद है। वैधानिक सामाजिक सुरक्षा संरचना के भीतर स्वतः बड़ी संख्या में कर्मचारियों को लाकर, यह निर्णय इस सिद्धांत को मजबूत करता है कि औपचारिक रोजगार पोर्टेबल और सुनिश्चित सामाजिक सुरक्षा के साथ होना चाहिए। नियोक्ताओं के लिए भी, व्यापक सामाजिक सुरक्षा कवरेज कर्मचारी प्रतिधारण, कार्यबल स्थिरता, मनोबल और अधिक सुरक्षित एवं भविष्य के लिए तैयार कार्यबल के विकास का समर्थन कर सकता है।

इस प्रस्ताव पर विस्तृत अंतर-मंत्रालयी परामर्श किया गया और व्यय वित्त समिति ने 16 जून, 2026 को आयोजित अपनी बैठक में इसकी सिफारिश की। लगभग **10,250 करोड़ रुपये** के मौजूदा वार्षिक बजटीय समर्थन के मुकाबले वार्षिक सरकारी व्यय लगभग **11,339 करोड़ रुपये** होने का अनुमान है। पांच वर्षों में अनुमानित व्यय लगभग **56,696 करोड़ रुपये** है।

ईपीएफओ आज दुनिया की सबसे बड़ी सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों में से एक का संचालन करता है, जो कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ), कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) और कर्मचारी जमा लिंकड बीमा योजना (ईडीएलआई) का प्रशासन करता है। नवीनतम ईपीएफओ डेटा लगभग 7.68 लाख योगदान देने वाले प्रतिष्ठानों में लगभग 7.98 करोड़ योगदान देने वाले सदस्यों को दर्शाता है, जबकि ईपीएस लगभग 82 लाख पेंशनभोगियों को पेंशन लाभ प्रदान करता है। ईडीएलआई ईपीएफ सदस्यता से जुड़ी बीमा सुरक्षा प्रदान करता है।

भारत का कार्यबल इसकी विकास गाथा के केंद्र में है। जैसे-जैसे वेतन बढ़ता है, आय में सुधार होता है और औपचारिक रोजगार का विस्तार होता है, रोजगार सृजन और औपचारीकरण पर सरकार का निरंतर जोर श्रमिकों के लिए नए अवसर पैदा कर रहा है। ईपीएफओ वेतन सीमा में वृद्धि यह सुनिश्चित करती है कि सामाजिक सुरक्षा संरचना भी इस प्रगति के साथ तालमेल बनाए रखता है और औपचारिक रोजगार में बड़ी संख्या में श्रमिकों को वैधानिक सामाजिक सुरक्षा प्राप्त होती है।

यह अनुमोदन एक समावेशी, सुदृढशीलता और भविष्य के लिए तैयार सामाजिक सुरक्षा संरचना के निर्माण की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है, जो यह सुनिश्चित करता है कि आर्थिक विकास, बढ़ती मजदूरी और औपचारिक रोजगार के विस्तार के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा आगे बढ़े, क्योंकि अपना देश विकसित भारत@2047 की ओर बढ़ रहा है।

श्रम और रोजगार मंत्रालय और ईपीएफओ निर्णय के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक वैधानिक और प्रशासनिक कदम उठाएंगे।

पीके/केसी/एसकेएस/पीके

(रिलीज़ आईडी: 2310894) आगंतुक पटल : 905

इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें: English , Urdu , Marathi , Bengali , Bengali-TR , Assamese , Punjabi , Gujarati , Odia , Telugu , Kannada , Malayalam